न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक) डीग

प्रकरण संख्याः– 99/2018 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00012), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. जल सिंह पुत्र चेतन सिंह – मृतक
1/1. वेदपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री जल सिंह
1/2. अमित कुमार पुत्र स्व0 श्री जल सिंह
1/3. मुन्नीदेवी पत्नी स्व0 जल सिंह
2. किशन सिंह पुत्र चेतन सिंह

} जातियान जाट नि0 नरायना कटता तहसील डीग

–वादीगण

बनाम

1. वेदरानी उर्फ राजरानी पुत्री रामलुभाया पत्नी बृजलाल जाति खत्री नि0 मकान नम्बर 70 बी आजाद नगर पानीपत(हरियाणा)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

–प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय **दिनांकः 17.02.2025**

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 258/0.23,सालिम व खसरा नम्बर 264/1.51, का हि0 1/3 वाके ग्राम दीनापुर तहसील डीग में स्थित है। हाल बन्दोवस्त में गत आराजी खसरा नम्बर 188 रकबा 1 वीघा 6 विस्वा, 194 रकबा 3 वीघा 6 विस्वा वाके ग्राम दीनापुर तहसील डीग के बदले में बनाया गया है। गत आराजी खसरा नम्बरान असल प्रति0 संख्या 1 के पिता रामलुभाया पुत्र अतरचन्द कॉम खत्री नि0 ग्राम दीनापुर तहसील डीग की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिसको उक्त रामलुभाया पुत्र अतरचन्द ने अपनी जायज जरूरत हेतु दिनांक 24.07.1980 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा वादीगण के पक्ष में तहरीर एवं तस्दीक करा दिया तथा दखल व कब्जा मौके पर वादीगण को मुताविक बयनामा दे दिया। वक्त बयनामा दिनांक 24.07.1980 को तहसील डीग में बन्दोवस्त प्रक्रिया चल रही थी और वादीगण/क्रेतागण द्वारा मुताविक बयनामा अपने पक्ष में नामा0 दर्ज कराने हेतु बन्दोवस्त विभाग के समक्ष कार्यवाही की थी। बन्दोवस्त विभाग द्वारा मुताविक बयनामा वादीगण/क्रेतागण यह समझते रहे कि उनके पक्ष में बयनामा का नामा0 दर्ज हो गया है और बन्दोवस्त विभाग द्वारा गलत तरीके पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज प्रति0 संख्या 1 के पिता रामलुभाया पुत्र अतरचन्द के नाम बदस्तूर रखा और विवादित आराजी में से आराजी खसरा नम्बर 264/1.51 हैक्टे0 के हि0 1/3 पर उक्त रामलुभाया को गैर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जबकि

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

बयनामा दिनांक 24.07.1980 से पूर्व ही दिनांक 01.12.1973 को तहसीलदार डीग से सनद संख्या 12 प्राप्त करली थी जिससे उक्त रामलुभाया उक्त खसरा नम्बर 264 का खातेदार मुताविक कानून हो गया था जिसके बाद ही उक्त रामलुभाया द्वारा वादीगण के पक्ष में बयनामा तहरीर एवं तस्दीक कराया था। इस प्रकार बन्दोवस्त विभाग को मुताविक बयनामा वादीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज वाहैसियत खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा ना कर बन्दोवस्त विभाग द्वारा कानूनी त्रुटि की है। इस गलत इन्द्राज काश्त के आधार पर प्रति0 संख्या 1 के मन में बेईमानी व बदयान्ति आ गई है। विवादित आराजी में से आराजी खसरा नम्बर 264/1.51 हैक्टेयर गलत तरीके पर प्रति0 संख्या 1 के पिता रामलुभाया के नाम गैर खातेदार इन्द्राज दर्ज किये जा रहे है। जबकि उक्त रामलुभाया द्वारा दिनांक 01.12.1973 को अपने पक्ष में तहसीलदार डीग से सनद संख्या 12 प्राप्त कर वादीगण के पक्ष में बयनामा बसमूल दीगर आराजी तहरीर एवं तस्दीक कराया था। अतःनिवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 264/1.51 के हि0 1/3 व खसरा नम्बर 258/0.23 सालिम वाके ग्राम दीनापुर तहसील डीग के वादीगण वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति0 संख्या 1 के नाम चल रहे गलत इन्द्राज को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावें। प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी के कब्जे काश्त वादीगण में मजाहमत मदाखलत नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। 05.07.2018 को प्रति0 संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 14.08.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. पेश किया गया। दिनांक 30.10.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का जबाव पेश किया गया। दिनांक 26.03.2019 को प्रति0 संख्या 1 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर दिनांक 15.09.2020 को तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादीगण के पक्ष में प्रति0 संख्या 1 के पिता रामलुभाया पुत्र अतरचन्द ने गत खसरा नम्बर 188/1–6, 194/3–6 वीघा वाके ग्राम दीनापुर का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 24.07.1980 को किया है।
2. आया वादीगण मुताविक बयनामा वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है।
3. आया वादीगण प्रति0 संख्या 1 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है।
4. आया वादीगण द्वारा दावा धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में मैण्टेनेबिल नहीं है।

वादी संख्या 1 के फौत होने पर दिनांक 11.01.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा. दी. पेश किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक कायम किया गया। साक्ष्य वादीगण में वादी संख्या 2 का दिनांक 29.11.2022 को शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्य वादीगण में दिनांक 15.05.2024 को पीडब्ल्यू–1 में किशनसिंह पुत्र जतन सिंह के बयान दर्ज किये जाकर साक्ष्य वादीगण बन्द की गई।

प्रति0 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 27.01.2025 को अन्तिम बहस के दौरान कहा कि मेरे जबाव में वर्णित तथ्यों को ही मेरी बहस समझाा जावे। वकील वादीगण की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 27.01.2025 को उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 188 व खसरा नम्बर 194 को वेदरानी के पिता रामलुभाया से जरिये विक्रय पत्र खरीदा था। विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1980 को निष्पादित हुआ। इन दो खसरा नम्बर से जो नये खसरा नम्बर बने है 258/0.23 व 264/1.51 का हि0 1/3 बने है। वादपत्र की मद संख्या 02 व 03 को पढा। जब हमने खरीदा उस समय भू–प्रबंध चल रहा था तब हमारा बयनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया। भू–प्रबंध विभाग के बाद भी जमीन रामलुभाया के नाम ही दर्ज करदी है। मेरा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर मुझे खातेदार दर्ज किया जावे। प्रति0 ने जबाव पेश किया है। धारा 88 के बाद में कोई मियाद नहीं है। प्रति0 का कोई साक्ष्य नहीं है। वकील प्रति0 ने हस में कथन किया कि मेरे जबाव दावे को ही मेरी बहस माना जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध वादी के वादपत्र, प्रति0 के जबाव दावे,गवाह पीडब्ल्यू–1 किशन सिंह, प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्बत 2069–2072 आराजी खसरा नम्बर 258/0.23 सालिम ग्राम दीनापुर रामलुभाया पुत्र अतरचन्द कॉम खत्री साकिन डीग खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 आराजी खसरा नम्बर 264 रामलुभाया पुत्र अतर चन्द कॉम खत्री साकिन देह खातेदार 1/3 हिस्सा दर्ज है। प्रदर्श–4 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2041 हाल खसरा नम्बर 258 रकबा 0.23 गत साविक खसरा नम्बर 188 रकबा 1 वीघा 6 विस्वा से बना है। हाल आराजी खसरा नम्बर 264/1.51 हैक्टे0 गत साविक खसरा नम्बर 186 रकबा 5 वीघा 1 विस्वा, खसरा नम्बर 193 रकबा 1 वीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 194 रकबा 3 वीघा 6 विस्वा से बना है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्बत 2024 से 2027 में खसरा नम्बर 188 रकबा 1 वीघा 6 विस्वा रामलुभाया पुत्र अतरचन्द कॉम खत्री सा.देह गैर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–5 आवंटन सनद साविक खसरा नम्बर 194, 188 प्रदर्श–6 भू–प्रबंध जमाबन्दी सम्बत 2041 में खसरा नम्बर 264 रकबा 1.51 रामलुभाया वल्द अतरचन्द कॉम खत्री गैर खातेदार दर्ज ळै। खसरा नम्बर 256/0.23 रामलुभाया पुत्र अतर चन्द कॉम खत्री गैर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–7 विक्रय पत्र संख्या 377 दिनांक 24.07.1980 प्रमाणित प्रति जिसमें साविक खसरा नम्बर 188 रकबा 1 वीघा 6 विस्वा व खसरा नम्बर 194 रकबा 3 वीघा 6 विस्वा को जल सिंह व किशन सिंह पिस0 चेतन सिंह को तीन हजार पॉच सौ रूपये में विक्रय किया है का अवलोकन किया एवं वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः–

<u>तनकी संख्याः–1,</u> आया वादीगण के पक्ष में प्रति0 संख्या 1 के पिता रामलुभाया पुत्र अतरचन्द ने गत खसरा नम्बर 188/1–6, 194/3–6 वीघा वाके ग्राम दीनापुर का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 24.07.1980 को किया है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने प्रदर्श–7 विक्रय पत्र संख्या 377 दिनांक 24.07.1980 की प्रमाणित प्रति पेश की है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.1980 के अनुसार रामलुभाया पुत्र अतरचन्द कॉम खत्री द्वारा वादग्रस्त आराजी साविक खसरा नम्बर 188 रकबा 1 वीघा 6 विस्वा व खसरा नम्बर 194 रकबा 3 वीघा 6 विस्वा को तीन हजार पॉच सौ रूपये में जल सिंह व किशन सिंह पिस0 चेतन सिंह को विक्रय कर दिया है और कब्जा दे दिया है। रजिस्टर्ड बयनामे की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–7 पर पत्रावली में मॉजूद है। जबकि प्रतिवादी द्वारा अपने जबाव दावे में ऐसा कोई विक्रय होना अस्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्याः–2,</u> आया वादीगण मुताविक बयनामा वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है।

इस तनकी को को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.1980 के द्वारा प्रति0 संख्या 1 का पिता रामलुभाया साविक खसरा नम्बर 188 व साविक खसरा नम्बर 194 का विक्रय कर चुका था। प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्बत 2024 से 2027 में साविक खसरा नम्बर 194 व 188 रामलुभाया के नाम दर्ज है। प्रदर्श–4

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2041 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 188 का हाल खसरा नम्बर 258 रकबा 0.23, साविक खसरा नम्बर 194 रकबा 3 वीघा 6 विस्वा का हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 1.51 हैक्टेयर बना है। मिसल बन्दोवस्त प्रदर्श–6 के अनुसार भी रामलुभाया के नाम प्रविष्टि दोहराई गई है। वादीगण के बयनामा का भू–प्रबंध विभाग के द्वारा अमल नहीं किया गया है। प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्बत 2069 से 2072 में हाल खसरा नम्बर 258 सालिम व 264 में हि0 1/3 का रामलुभाया को खातेदार दर्ज किया गया है। जबकि मुताविक बयनामा वादीगण उक्त वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। वादीगण राजस्व रिकार्ड में चली आ रही उक्त प्रबिष्टियों को कलमजन कराये जाने के अधिकारी है। इस सम्बन्ध में प्रति0 का कोई साक्ष्य नहीं है। तनकी संख्या 2 भी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–3, आया वादीगण प्रति0 संख्या 1 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है।

तनकी संख्या 01 व 02 विरूद्व प्रतिवादीगण वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। तनकी संख्या 3 भी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–4, आया वादीगण द्वारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में मैण्टेनेबिल नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार डीग से कोई रिलीफ नहीं चाही है। प्रति0 संख्या 2 की उक्त विचाराधीन प्रकरण में उपस्थिति रही है। प्रति0 संख्या 2 ने कोई जबावदेही नहीं की है औ ना ही प्रति0 संख्या 2 ने 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिये जाने का अभाव बताते हुए इस प्रश्नगत किया है। तनकी संख्या 4 भी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 1, 2, 3, 4 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88.89 व 188 आर.टी.एक्ट (स्वत्व घोषणा)स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री जाता है। आराजी खसरा नम्बर 264/1.51 के हि0 1/3 व खसरा नम्बर 258/0.23 सालिम वाके ग्राम दीनापुर तहसील डीग के वादीगण को वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज बावत विवादित आराजी वहक पिता प्रति0 संख्या 1 जो दर्ज किया जा रहा है, उन्हें खिलाफ मौका व खिुलाफ कानून करार देते हुए हुए कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। असल प्रति0 संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner